

कंप्यूटर पर पत्र सं०- 2223062 दिनांक 15-12-2022

पत्र संख्या- REIC /आई0एम0सी0 /मु0 /2022-23/ 230

आवश्यक / महत्वपूर्ण

/ वाणिज्य कर


कार्यालय आयुक्त, राज्य कर,
(इन्वेस्टिगेशन मॉनिटरिंग सेल)

लखनऊ::दिनांक:: 15 दिसम्बर :: 2022

समस्त जोनल अपर आयुक्त
राज्य कर, उत्तर प्रदेश।

कृपया मुख्यालय के पत्र संख्या-235 दिनांक 07.09.2021 एवं 370 दिनांक 23.12.2021 का सन्दर्भ लेने का कष्ट करें, जिसके द्वारा फील्ड स्तर से किये जा रहे प्रवर्तन कार्यों के ऐसे मामले जिन्हें विभिन्न Law Enforcement Agencies (LEAs) के साथ शेयर किया जाना अपेक्षित हो, को REIC द्वारा निर्धारित प्रारूप REIC-Form-1 में भरकर मुख्यालय प्रेषित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। वर्तमान में Additional Director General CEIB द्वारा प्रेषित अर्द्धशासकीय पत्र के माध्यम से उत्तर प्रदेश राज्य कर विभाग से वित्तीय वर्ष 2018-19 के पश्चात बुक किये गये सभी केसेज से सम्बन्धित अवशेष सूचनायें ब्यूरो के ई मेल-sgst-ceib@gov.in पर नियमित रूप से साझा किये जाने की अपेक्षा की गयी है। उल्लेखनीय है कि CEIB, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पूर्व में प्रेषित पत्र से REIC में साझा किये जाने हेतु प्रकरणों में करापवंचन की सीमा निर्धारित की गयी है, जिसके अनुसार इस विभाग के उन्हीं प्रकरणों को REIC को सन्दर्भित किया जाना अपेक्षित है, जिनमें अपवंचित कर की धनराशि रु0 01 करोड़ (नॉन मेट्रो स्टेशन) व रु0 03 करोड़ (मेट्रो स्टेशन-नोएडा, ग्रेटर नोएडा व गाजियाबाद) है। इस सम्बन्ध में REIC लखनऊ परिक्षेत्र के नोडल अधिकारी द्वारा समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर को अपने-अपने जोन से सम्बन्धित प्रकरणवार सूचना REIC को सन्दर्भित करने हेतु पत्र संख्या-3126 दिनांक 08.03.2022 जारी किया गया है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 के पश्चात बुक किये गये सभी केसेज से सम्बन्धित अवशेष ऐसी सूचनायें, जिन्हें CEIB के साथ शेयर किया जाना अपेक्षित हों, को पत्र संख्या-3126 दिनांक 08.03.2022 द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में REIC द्वारा निर्धारित प्रारूप REIC-Form-1 में भरकर अविलम्ब मुख्यालय प्रेषित करने के साथ-साथ भविष्य में भी ऐसी समस्त सूचनायें नियमित रूप से मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।



(मिनिस्ती एस.)

आयुक्त, राज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।